भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 330*
जिसका उत्तर मंगलवार, 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

एचपीसी मिलों का पुनरुद्धार

330*. डॉ. राजदीप राय:

डॉ. कृपानाथ मल्लाह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन (एचपीसी) की दो मिलें, जिनमें से एक असम में पंचग्राम तथा दूसरी जगीरोड में स्थित है, विगत कुछ वर्षों से बंद हैं और इन दोनों पेपर मिलों को पुनः चालू करने हेतु जनता की ओर से पुरजोर मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो बंद पड़ी पेपर मिलों को पुनः खोलने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार की पेपर मिलों के कर्मचारियों को वेतन जारी करने की योजना है क्योंकि कर्मचारियों को विगत दो वर्षों से वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इन पेपर मिलों के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है क्योंकि कर्मचारी अत्यंत वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"एचपीसी मिलों के पुनरुद्धार" के संबंध में डॉ. राजदीप राय और डॉ. कृपानाथ मल्लाह द्वारा पूछे गए दिनांक 16 जुलाई, 2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 330 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): असम में कछार पेपर मिल, पंचग्राम और नगाँव पेपर मिल, जागीरोड हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की मिलें हैं, जो पिछले दो वर्षों से अधिक समय से प्रचालन में नहीं हैं।

एचपीसी के एक गैर-जमानती लेनदार द्वारा दायर याचिका में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) ने दिनांक 13.06.2018 के आदेश के माध्यम से इन्सोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी), 2016 के तहत एचपीसी के विरुद्ध कॉर्पोरेट इन्सोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) आरंभ करने का निदेश दिया।

इसके बाद, आईबीसी के उपबंधों के अनुसार, एचपीसी का निदेशक मंडल निलंबित हो गया है और एक समाधान व्यावसायिक (आरपी) और लेनदारों की एक समिति बनाई गई है। अध्यक्ष एवं महानिदेशक, एचपीसी ने दिनांक 13.06.2018 के एनसीएलटी के उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अभिकरण (एनसीएलएटी) में एक अपील दायर की है, तथापि, दिनांक 08.01.2019 के आदेश के द्वारा अपीलीय अभिकरण द्वारा उक्त अपील को निरस्त कर दिया गया।

दिनांक 02.05.2019 को सुनवाई के दौरान एनसीएलटी ने एचपीसी के परिसमापन का आदेश दिया। तत्पश्चात, एनसीएलटी के उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध एचपीसी के अधिकारी संघ और कर्मचारियों द्वारा दायर अपीलों, जिनमें भारत संघ एक पार्टी नहीं थी, में एनसीएलएटी ने अन्य बातों के साथ-साथ 'गोइंग कंसर्न' के रूप में एचपीसी के परिसमापन की प्रक्रिया का निदेश दिया और परिसमापक को यह देखने का भी निदेश दिया गया है कि क्या भारत की समेकित निधि से वित्तीय सहायता की अनुमति है।

(ग) और (घ): ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

*****